राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1810/2013/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–'डी', जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स महारानी ज्वैलर्स,
प्रथम 'सी' रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12/03/2015

निर्णय

1. यह अपील, राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 59/आरवेट/जेयूडी/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.6.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–'डी', जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 22/24 सपठित धारा 5(1) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.2.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी 'सर्राफा व्यवसायियों के लिये जारी प्रशमन योजना, 2006' (जिसे आगे **'योजना–2006'** कहा जायेगा) का विकल्पधारी था। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि के लिये योजना–2006 के तहत देय किस्तें रूपये 9775/–(प्रत्येक) क्रमशः दिनांक 12.4.2010, 15.7.2010 व 28.2.2011 को जमा करवाई गई। साथ ही दिनांक 30.3.2011 को वैट–11 प्रस्तुत करते हुए दिनांक 30.9.2010 से व्यवसाय बंद किये जाने की सूचना कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.2.2013 को पारित करते हुए योजना–2006 की शर्तों के अनुसार वर्ष के मध्य में योजना–2006 से बाहर निकलने को अस्वीकार करते हुए, आलौच्य अवधि के लिये प्रत्यर्थी की प्रशमन राशि रूपये 39,675/– होने से शेष प्रशमन राशि रूपये 9,919/–, देय प्रशमन

लगातार..... 2

राशि विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण ब्याज रूपये 3198/— एवं विलम्ब शुल्क रूपये 12,274/— का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2013 से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 30.9.2010 को व्यवसाय बंद किये जाने के कारण वह दो तिमाही की प्रशमन राशि अदा करने का दायी है, अतः तदनुसार प्रशमन राशि, ब्याज व शास्ति का आरोपण करते हुए पुनः आदेश पारित किया जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि योजना—2006 की शर्तों के अनुसार कोई भी व्यवसायी योजना—2006 का विकल्प लेने के उपरान्त वर्ष के मध्य में योजना—2006 से बाहर नहीं हो सकता एवं यदि योजना—2006 से बाहर होता है, तो उसे पूरे वर्ष के लिये निर्धारित प्रशमन राशि अदा किया जाना आवश्यक है। अपीलीय अधिकारी ने योजना—2006 के प्रावधानों का समुचित रूप से विश्लेषण किये बिना, प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष के मध्य में योजना—2006 से बाहर होने के आधार पर दो तिमाही की प्रशमन राशि देय मानते हुए तदनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपने तर्क की पुष्टि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी.एस.टी.आर. संख्या 87/11 मैसर्स नाकोड़ा एन्टरप्राईजेज बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2011 का हवाला देते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि उनके द्वारा दिनांक 30.9.2010 को ही व्यवसाय बंद कर दिया गया था, जिसकी सूचना दिनांक 31.3.2011 को कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गयी थी। प्रत्यर्थी उसका व्यवसाय निरन्तर रहने की स्थिति में योजना—2006 से बाहर नहीं हो सकता था, किन्तु व्यवसाय बंद कर दिये जाने की स्थिति में व्यवहारी से पूरे वर्ष की प्रशमन राशि लिया जाना न्यायोचित नहीं है, एवं योजना—2006 की शर्तों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि व्यवसाय बंद होने की स्थिति में भी पूरे वर्ष के लिये निर्धारित प्रशमन राशि देय होगी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं योजना—2006 का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा दिनांक 30.9.2010 को अपना व्यवसाय बंद कर दिया गया तथा इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को दिनांक 31.3.2011 को प्रस्तुत भी कर दी गयी। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा आलौच्य वर्ष में केवल दो तिमाही तक ही व्यवसाय किया गया है एवं तीन तिमाही की किस्तें जमा करवाई गयी है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष की प्रशमन राशि की देयता मानते हुए, तदनुसार प्रशमन राशि, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में योजना–2006 का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

Notification No. F.12(16)FD/Tax/2005-37 Dated 06-05-2006

"In exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the **"Composition Scheme for Gems and Stones, 2006"** (hereinafter referred to as 'the scheme'), and permits such dealers to opt for composition amount **in lieu of their tax liability in respect of their sales** of all kinds of synthetic gems and stones and all kinds of precious and semi-precious gems and stones (including kharad), pearls (whether real or cultured) and diamonds, within the State on payment of composition amount determined on the basis of their gross turnover of the relevant year as per their books of account."

7. उक्त अधिसूचना के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि व्यवहारीगण द्वारा किये गये विक्रय पर देय कर के एवज में प्रशमन राशि की देयता निर्धारित की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी द्वारा दो तिमाही के पश्चात ही अपना व्यवसाय ही बंद कर दिया गया। अत व्यवहारी द्वारा जब किसी प्रकार का विक्रय किया ही नहीं गया तो उस पर किसी प्रकार की करदेयता का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में देय कर की एवज में प्रशमन राशि की देयता का निर्धारण प्रथम दृष्टया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

8. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल दो तिमाही की प्रशमन राशि की देयता एवं इस सीमा तक ब्याज एवं शास्ति की देयता सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 14.6.2013 की पुष्टि की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 12.03.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य